भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1556

उत्तर देने की तारीख: 09.12.2024

वक्फ संपत्तियां

1556. **डा. जॉन ब्रिटास:**

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्रीयह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वक्फ अधिनियम, 1954 और तदुपरांत वक्फ अधिनियम, 1995 के अंतर्गत देश भर के पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) वक्फ के रूप में समर्पित अचल और चल संपत्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि वक्फ संपत्तियों के अवैध हस्तांतरण के संबंध में चिंताएं व्यक्त की गई है;

(घ) यदि हां, तो राज्य-वार हस्तांतरित संपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसकी वसूली के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख): वक्फ अधिनियम, 1954 की धारा 15 और तत्पश्चात के वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 32 के अनुसार, किसी राज्य में सभी वक्फ संपत्तियों की सामान्य देखरेख राज्य वक्फ बोर्ड (SWB) के पास निहित है और राज्य वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने का अधिकार है। इसके अलावा, WAMSI (भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी, जिसे संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा दर्ज किया जाता है, के अनुसार अब तक 8,72,352 अचल और 16,713 चल वक्फ संपत्तियों को पोर्टल पर दर्ज किया गया है। अचल और चल वक्फ संपत्तियों का भारतीय वक्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है।

(ग) से (ङ): वक्फ अधिनियम की धारा 51 (1-क) में प्रावधान है कि वक्फ संपत्ति की कोई भी बिक्री, उपहार, विनिमय, बंधक या हस्तांतरण शुरू से ही अमान्य होगा। इसके अतिरिक्त, वक्फ अधिनियम की धारा 52 में कहा गया है कि यदि बोर्ड निर्धारित तरीके से कोई जांच करने के बाद यह पाता है कि किसी वक्फ संपत्ति को अलग कर दिया गया है, तो वह उस कलक्टर को जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति स्थित है,एक अनुरोध कर सकता हैकि संपत्ति को अपने कब्जे में लेकर बोर्ड को सौंप दिया जाए। WAMSI पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 994 वक्फ संपत्तियों को अलग दिखाया गया है। अलग दिखाये गए वक्फ संपत्तियों का राज्य वक़्फ़ बोर्डवार विवरण अनुबंध में दिया गया

*****

अनुबंध

वक़्फ संपत्तियों के संबंध में डा.जोन ब्रिटास द्वारा उठाए गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1556 जिसका उत्तर 09/12/2024 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

WAMSI (भारत की वक़्फ संपत्ति प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर अचल, चल एवं अलग की गई वक़्फ संपत्तियों का राज्य वक़्फ बोर्ड (SWB) वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्ड का नाम	अचल संपत्तियां	चल संपत्तियां	अलग की गई संपत्तियां
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	151	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	14685	85	152
3.	असम	2654	0	0
4.	बिहार राज्य (शिया)	1750	16	0
5.	बिहार राज्य (सुन्नी)	6867	18	7
6.	चंडीगढ़	34	0	0
7.	छत्तीसगढ	4230	0	0
8	दादरा एवं नगर हवेली	30	1	0
9	दिल्ली	1047	0	0
10.	गुजरात	39940	5418	0
11.	हरियाणा	23267	0	0
12.	हिमाचल प्रदेश	5343	0	6
13.	जम्मू और कश्मीर	32533	0	10
14.	झारखंड	698	4	0
15.	कर्नाटक	62830	1801	0
16.	केरल	53297	0	3
17.	लक्षद्वीप	896	0	0
18.	मध्य प्रदेश	33472	237	2
19.	महाराष्ट्र	36701	131	0
20.	मणिपुर	999	0	0
21.	मेघालय	58	51	1
22.	ओडिशा	10314	26	0
23.	पुदुचेरी	693	254	0
24.	पंजाब	75965	0	63
25.	राजस्थान	30895	0	0
26.	तमिलनाडु	66092	8605	734
27.	तेलंगाना	45682	0	4
28.	त्रिपुरा	2814	62	0
29.	उत्तर प्रदेश (शिया)	15386	0	0
30.	उत्तर प्रदेश (सुन्नी)	217161	3	0
31.	उत्तराखंड	5388	0	11
32.	पश्चिम बंगाल	80480	1	1
	कुल योग	**872352**	**16713**	**994**